

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक:-एफ-7 (4) रूकटा/अधि/अकाद/आकाशि/2022/ 674

दिनांक:-31-23

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय :-रूकटा (राष्ट्रीय) के प्रांतीय अधिवेशन हेतु विशेष आकस्मिक (अकादमिक) अवकाश के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कोटा में दिनांक 08-09 जनवरी, 2023 तक रूकटा (राष्ट्रीय) द्वारा वार्षिक आयोजित होने वाले वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, प्राचार्य, सहायक निदेशक, सह /सहायक आचार्य, व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1 (12) एफ 5/गुप-2/83/दिनांक 1.4.1983 के अन्तर्गत नियमानुसार दिनांक 08-09 जनवरी, 2023 (रविवार सहित) का विशेष आकस्मिक (अकादमिक) अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारियों को केवल मात्र एक संगठन द्वारा आयोजित अधिवेशन में भाग लेने तथा उक्त दिवसों का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त अवकाश का लाभ देय होगा।

उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ.शैला महान)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक /सहायक निदेशक/सह/सहायक आचार्य आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. महामंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय), देरा श्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 548 दिनांक 15-12-2022 के संदर्भ में।
5. समस्त, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ.शैला महान)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।